[2022] 17 एस. सी. आर 765

गुजरात राज्य

वी.

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 2291)

15 दिसंबर, 2022

[एस. अब्दुल नजीर और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015: धारा 2 (1) (सी)-क्या 2015 के अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी कानून में बनाए रखने योग्य है या दर्ज की जा सकती है यदि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है।

2015 के अधिनियम की घोषणा के बाद किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त

आई. पी. सी. या किसी अन्य क़ानून के तहत-आयोजितः 'संगठित अपराध' शब्द इंगित करता है कि कानून द्वारा निषिद्ध गतिविधि होनी चाहिए।

उस समय के लिए जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसके संबंध में एक से अधिक गतिविधियाँ होती हैं।

दस साल की पिछली अवधि के भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किए गए हैं और अदालत ने इस तरह के अपराध का संज्ञान लिया है-कुछ ऐसा कार्य या चूक होनी चाहिए जो 2015 के अधिनियम के लागू होने के बाद संगठित अपराध के बराबर हो, अर्थात जिसके संबंध में आरोपी पर पहली बार विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मांग की जाती है-संगठित अपराध के उद्देश्य से, एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि होनी चाहिए।

गैरकानूनी गतिविधि तब तक जारी नहीं रह सकती जब तक कि कम से कम दो न हों।

के संबंध में आरोप पत्र दायर किए गए पाए गए हैं दस वर्ष की अवधि के दौरान तीन वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध-यह अपने आप में कहीं भी उक्त 2015 अधिनियम के तहत किसी भी गतिविधि को अपराध घोषित नहीं करता है-यह उक्त 2015 अधिनियम के तहत अपराध के रूप में घोषित किए गए कृत्यों के संबंध में केवल दो आरोप पत्रों को मानता है जिन्हें पहले से ही लागू कानून के तहत अपराध के रूप में घोषित किया गया था।

निरंतर गैरकानूनी गतिविधि की पहचान करना और/या उक्त 2015 अधिनियम के तहत किसी कार्रवाई के उद्देश्य से-यदि व्यक्ति गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखता है और उक्त अधिनियम की घोषणा के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति पर उक्त अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है-यदि कोई व्यक्ति उसके बाद किसी भी गैरकानूनी कार्य में लिप्त होना बंद कर देता है।

कि राज्य को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह दो कार्य करता है जिनका संज्ञान लिया जाता है। न्यायालय द्वारा लागू होने के बाद लिया जाता है-संगठित अपराध।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 'संगठित अपराध' शब्द का बारीकी से विश्लेषण इस बात का संकेत देगा कि कानून द्वारा निषिद्ध गतिविधि होनी चाहिए।

उस समय के लिए जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसके संबंध में दस साल की पिछली अवधि के भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं और अदालत ने लिया है

इस तरह के अपराध का संज्ञान। [पैरा 24] [782-डी-ई]

2. गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने में आम तौर पर न्यायालय के विचार इस प्रकार हैंः (1) अपराधों की प्रकृति और गंभीरता; (2) साक्ष्य का स्वरूप; (3) ऐसी परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; (4) मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने की उचित संभावना; (5) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका; (6) जनता या राज्य का व्यापक हित और अन्य समान कारक जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक हो सकते हैं। हालाँकि, यदि किसी मामले में 2015 के अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग किया जाता है, तो उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों के अलावा, 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों में लगाई गई सीमाओं को जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। [पारस 26 और 27] [782-एच; 783-ए-सी]

3. उप-धारा में गैर-अवरोधक खंड के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने की शक्ति

या सत्र न्यायालय न केवल संहिता की धारा 439 द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन है, बल्कि 2015 अधिनियम की धारा 20 (4) द्वारा रखी गई सीमाओं के अधीन भी है। लोक अभियोजक को अवसर प्रदान करने के अलावा, अन्य दोहरी शर्तें

ये हैंः न्यायालय को इस बात से संतुष्टि होगी कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है।

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता

'आधार' का अर्थ है प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। प्रावधानों में विचार किए गए उचित विश्वास के लिए ऐसे तथ्यों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है और परिस्थितियाँ जो अपने आप में उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं

इस बात का संतोष कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के तहत निष्कर्षों को दर्ज करना 2015 के अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। [पैरा 28] [783-एफ-एच; 784 ए-बी]

4. यही बात शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने के उस कथन के अनुरूप होगी जो कहा गया था कि

1999 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किए गए कार्यों को 1999 के अधिनियम के तहत एक अपराध के रूप में अपने दायरे में लेता है। यही सादृश्य 2015 के अधिनियम पर भी लागू होगा। [पारस 48 और 49] [798-एच; 799 ए-सी] 5. शिवा उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने ने उस स्थिति से निपटा, जहां कोई व्यक्ति मकोका के आह्वान के बाद कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों में, व्यक्ति

उक्त अधिनियम, यहां तक कि [2022] 17 एस. सी. आर. के लागू होने से पहले उसके द्वारा किए गए अपराधों के कारण उक्त अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

यदि, वह उसी के लिए दोषी पाया जाता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखता है और घोषणा के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है

उक्त अधिनियम के अनुसार, ऐसे व्यक्ति पर उक्त अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम के बाद किसी भी गैरकानूनी कार्य में लिप्त होना बंद कर देता है, तो उसे उक्त अधिनियम के तहत अभियोजन से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन, यदि वह गैरकानूनी गतिविधि जारी रखता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य को तब तक इंतजार करना होगा, जब तक कि वह दो कार्य नहीं करता है, जिनका न्यायालय द्वारा प्रभाव में आने के बाद संज्ञान लिया जाता है। 2015 के अधिनियम के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होगा। [पैरा 51] [801-ए-डी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (2015) 14 एस. सी. सी. 272। : [2015] 9 एससीआर 211; प्रफुल्ल उद्धव शेंडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2008

एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1848: (2009) 2 एयर बम आर 1;

जयसिंह अशरफिलाल यादव और अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और एक अन्य 2003 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1506; भारत शांतिलाल शाह बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2003 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1061; महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति लाल शाह और अन्य (2008) 13 एस. सी. सी. 5: [2008]

12 एससीआर 1083; अल्ताफ इस्माइल शेख बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 420: 2005 क्रि एल. जे. 3584: (2006) 1 सी. सी. आर 391; महाराष्ट्र राज्य और अन्य वी। ललित सोमदत्त नागपाल और एक अन्य (2007) 4 एस. सी. सी. 171: [2007] 2 एस. सी. आर. 473; तोलाराम रेलुमल और एक अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 496: [1955]

एस. सी. आर. 158 पर भरोसा किया।

रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और एक अन्य (2005) 5 एस. सी. सी. [2005] 3 एस. सी. आर. 345; झारखंड राज्य और अन्य बनाम। अंबे सीमेंट्स एंड अदर (2005) 1 एस. सी. सी. 368 [2004] 6

पूरक। एस. सी. आर. 125-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 9 एससीआर 211

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2005] 3 एससीआर 345

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2008] 12 एससीआर 1083

उस पर भरोसा करें

पैरा 35 गुजरात राज्य v. संदीप ओमप्रकाश गुप्ता

[2007] 2 एससीआर 473

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

[1955] एससीआर 158

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[2004] 6 पूरक। एससीआर 125

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

2291 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 06.05.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आर/क्रिमिनल मिस्क में अहमदाबाद में गुजरात का। 2021 का आवेदन संख्या 3819।

तुषार मेहता, एस. जी., कानू अग्रवाल, सुश्री दीपानविता प्रियंका,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मोहित डी. राम, किशन एच. दहिया, सुश्री मोनिशा हांडा, राजुल

श्रीवास्तव, अनुभव शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील गुजरात राज्य के कहने पर की गई है और

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के आर/आपराधिक विविध आवेदन संख्या 3819 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देश दिया गया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध

अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, '2015 अधिनियम') की धारा 3 (1) (i) और (ii), 3 (2) और 3 (4) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन, सूरत शहर, जिला सूरत में पंजीकृत 2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सी. आर. संख्या 11210015200100 के संबंध में प्रतिवादी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

3. जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं वह यह हैः चाहे वह

2 (1) (ग) 2015 के अधिनियम के अनुसार, आवश्यक रूप से गिरोह के किसी भी कथित सदस्य के खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। 2015 के अधिनियम की घोषणा अर्थात 01.12.2019 के बाद? दूसरे शब्दों में कहें तोः क्या 2015 अधिनियम (विशेष अधिनियम) के तहत एक प्राथमिकी कानून में बनाए रखने योग्य है या दर्ज की जा सकती है यदि आई. पी. सी. या किसी अन्य क़ानून के तहत किसी भी अपराध के लिए 2015 अधिनियम की घोषणा के बाद आरोपी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है?

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उपरोक्त प्रश्न विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न होता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ दर्ज अंतिम अपराध 2019 का है।

और उक्त एफ. आई. आर. के संबंध में आरोप-पत्र निर्विवाद रूप से 2015 के अधिनियम की घोषणा से पहले 21.01.2019 पर दायर किया गया था। इसके अलावा, 2015 के अधिनियम के लागू होने के बाद प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

फैक्ट मैट्रिक्स

5. 27.11.2020 पर उनके खिलाफ एक एफ़. आई. आर. दर्ज की गई

धारा 3 (1) (i) और (ii), 3 (2) और 3 (4) के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी और तेरह अन्य सह-अभियुक्त

2020 का आपराधिक विविध आवेदन संख्या 6483 दाखिल करके। सूरत की सत्र अदालत ने दिनांक 21.01.2021 के आदेश के माध्यम से जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 6. इसके बाद प्रतिवादी-अभियुक्त ने विविध आपराधिक आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन को प्राथमिकता दी।

2021 की संख्या 3819। उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी-अभियुक्त को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 7. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत प्रदान की, अनिवार्य रूप से महाराष्ट्र राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्ति पर भरोसा करते हुए। शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने ने रिपोर्ट किया

(2015) 14 एससीसी 272। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 2015 का अधिनियम गुजरात राज्य में डब्ल्यू. ई. एफ. 01.12.2019 से लागू हुआ था और प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ किसी भी मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

01.12.2019 के बाद मूल अपराध।

8. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने शिवा उर्फ के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए विचार लिया

शिवाजी रामाजी सोनावने (ऊपर) ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अतीत में दर्ज की गई पांच प्राथमिकियां

(आई. पी. सी.) को प्रतिवादी-अभियुक्त की 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सके।

9. हमें उच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार करना चाहिए, जो उसके विवादित आदेश में निम्नानुसार की गई हैं:

ई स्टेट ऑफ गुजरात v. संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 6. गुजरात राज्य में संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विधानमंडल ने

अधिसूचना के माध्यम से "गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध अधिनियम, 2015" लागू किया गया। यह अधिनियम 01.12.2019 से लागू हुआ है। धारा 2 (सी) और (एफ) जो परिभाषित करती हैं

" गैरकानूनी गतिविधि "और" संगठित अपराध "जारी रखना

सिंडिकेट "नीचे पढ़ा गया है:

(ग) "गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" का अर्थ है कुछ समय के लिए कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि, जो तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जिसे अकेले या संयुक्त रूप से, एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है, जिसके संबंध में एक से अधिक सिंडिकेट हैं।

आरोप-पत्र दस साल की पिछली अवधि के भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष दायर किए गए हैं और वह अदालत

इस तरह के अपराध का संज्ञान लिया है;

(च) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह अभिप्रेत है, जो या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।

संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त सिंडिकेट या गिरोह; उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि

एक संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा निरंतर गैरकानूनी गतिविधि की जानी चाहिए, जिसके लिए दस साल की पिछली अवधि के भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं, और यह कि अदालत ने लिया है

इस तरह के अपराध का संज्ञान। 7. शिवाजी रामाजी सोनावाले (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने परिमाणीय प्रावधानों पर विचार करते हुए

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 2 (डी) से गुजरात अधिनियम की धारा 2 (सी), जो "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" को परिभाषित करती है, ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

" 9. दोनों मामलों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 2001 के अपराधों के लिए और 2001 के 38 अपराधों के लिए शिव के मामले में 18 जनवरी, 2008 को और महमूद खान पठान के मामले में 28 फरवरी, 2006 को अलग-अलग मुकदमा चलाया गया और बरी कर दिया गया। उक्त आरोप पत्रों में, प्रतिवादियों पर केवल आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

मकोका के तहत दंडनीय अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अलग और स्वतंत्र आरोप पत्र दायर किए गए थे जिसमें उन्हें निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पलट दिया गया था जैसा कि देखा गया था।

एक आवश्यकता के बारे में लेकिन किसी भी तरह से एकमात्र आवश्यकता नहीं है जिसे अभियोजन पक्ष को मकोका के तहत दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए पूरा करना पड़ता है। समान रूप से, यदि नहीं, तो अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदाताओं द्वारा अपराध करना था जो "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" का गठन करेगा। जब तक वह आवश्यकता विफल रही, जैसा कि तत्काल मामले में स्थिति थी, तब तक मकोका की धारा 3 के तहत उत्तरदाताओं को दोषी ठहराने का कोई सवाल ही नहीं था। यह तर्क, हमारी राय में, किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। 10. तथ्य यह है कि प्रतिवादियों के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाते हुए एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए थे

तीन साल से अधिक के कारावास की सजा पर्याप्त नहीं है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है

मकोका के अधिनियमन से पहले अपराध करना अपने आप में मकोका के तहत अपराध नहीं है। पूर्व में प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में मामलों का पंजीकरण, आरोप पत्र दायर करना और सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान लेना मकोका की धारा 3 के आह्वान के लिए आवश्यकताओं में से एक है। गुजरात के गैरकानूनी ई-स्टेट को जारी रखना v.

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

गतिविधियाँ दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह संतुष्ट होना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब अभियुक्त द्वारा घोषित किए जाने के बाद एक संगठित अपराध किया जाता है

एम. सी. ओ. सी. ए. कि वह, पिछले आरोप पत्रों और सक्षम अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान के आलोक में देखा जा सकता है, की धारा 3 के तहत अपराध किया है।

अधिनियम।

11. वर्तमान मामले में, एमसीओसीए की घोषणा के बाद प्रत्यर्थियों पर जिन अपराधों को करने का आरोप है, वे उनके खिलाफ साबित नहीं हुए। 2001 के अपराध सं. 37 और 38 में प्रत्यर्थियों को बरी करने से यह संकेत मिलता है कि वे उन अपराधों में शामिल नहीं थे जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं कि प्रत्यर्थियों को हथियारों के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था

2002 के अपराध मामला संख्या 1 और 2 में भी अधिनियम। उस बरी किए जाने के खिलाफ राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इसका तात्पर्य यह था कि अभियोजन पक्ष अपराध को पूरा करने के लिए आवश्यक दूसरे घटक को साबित करने में विफल रहा था।

मकोका। इसलिए, उच्च न्यायालय को अभिनिर्धारित करने का अधिकार था

कि एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 3 को केवल धारा 3 के लिए पिछले आरोप पत्रों के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है, केवल तभी लागू होगा जब उत्तरदाताओं को लाभ या किसी भी आर्थिक लाभ के लिए अपराध करने के लिए साबित किया गया हो।

मकोका की घोषणा के बाद लाभ या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ। ऐसा मामला होने के कारण, उच्च न्यायालय, हमारी राय में, अपील को स्वीकार करने और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में उचित था।

8. "गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" अभिव्यक्ति का विश्लेषण करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तीन साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए एक से अधिक आरोप पत्र दायर करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह संतुष्ट होना चाहिए कि गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखना दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब अभियुक्त द्वारा एक संगठित अपराध किया जाता है।

उस अधिनियम की घोषणा जिस पर पिछले आरोप पत्रों के आलोक में विचार किया जाना है। इस प्रकार, के संभावित प्रभाव के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क

उपरोक्त टिप्पणियों [2022] 17 एस. सी. आर. को देखते हुए अधिनियम स्वीकार्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया, लेकिन साथ ही वर्तमान मामले में यह देखा गया है कि प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले अपराधों को देखते हुए "गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" अभिव्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तत्काल मामले में, आह्वान के लिए

आवेदक के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य ने आवेदक के खिलाफ दर्ज 5 अपराधों और एक प्रयोग आदेश पर भरोसा किया है। विवरण इस प्रकार हैः

आई. पी. सी. के तहत अपराध। आरोप पत्र सं।

सीनियर F.I.R./Police स्टेशन

नहीं।

29/2019 , दहेज

आई.

1128/2019

407 , 411 , 465 , 467 , 468 , 471 , 120 (ख)

दिनांकित 21.09.2019

506 (2) , 114

285/2018 , सचिन

43491/18

2

दिनांकित 29/08/2018

26/2016 , सचिन

326 , 323 , 114

3

36060/2016

दिनांकित

27/06/2016

506 (2) , 114

6778/2019

4

22/2019 , सचिन

दिनांकित

12.12.2019

382 , सचिन

323 , 504 , 506 (2)

5

64157/2018

दिनांकित

25.12.18

आदेश सं. 03/2019 दिनांकित

6

03.03.2019 अस्ट के। पुलिस कमिश्नर

9. यह अधिनियम 01.12.2019 पर लागू हुआ। अंतिम अपराध जो आवेदक के खिलाफ दर्ज किया गया है, वह 2019 का है जो एफ. आई. आर. No.29/2019, (Item.1) के माध्यम से दर्ज किया गया है, जिसके लिए आरोप-पत्र 21.01.2019 पर दायर किया गया है जो आवेदन की घोषणा से पहले है।

अधिनियम। क्रम सं. में अपराध। 6 एफ. आई. आर. No.14/209 होना आई. पी. सी. की धारा 364 (ए), 387,120 (बी), 114 के तहत इस अदालत द्वारा दिनांक 1 पारित आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया है।

आपराधिक विविध में। 2019 का आवेदन No.21872 और इसलिए, 27.11.2020 पर एफ. आई. आर. पंजीकृत करते समय प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता था। अधिनियम की घोषणा के बाद आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। सीरियल नं. 6 , राज्य ने 03.03.2019 दिनांकित विस्तार आदेश का भी उल्लेख किया है जो प्रावधानों के खिलाफ है

अधिनियम की धारा 2 (सी)। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह केवल तभी है जब अधिनियम की घोषणा के बाद अभियुक्त द्वारा एक संगठित अपराध किया जाता है, जिस पर पिछले आरोप

पत्रों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, राज्य ने अपराधों के पंजीकरण के संबंध में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है।

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आवेदक के खिलाफ, इसलिए आवेदक को अनुमति नहीं दी जा सकती है आगे जेल में कैद किया जाए।

10. अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करना और लेना

मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,

अपराधों की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका, बिना

कि इस न्यायालय ने इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है आवेदक जो अपराध का सदस्य या सदस्य नहीं है

सिंडिकेट।

10. उपरोक्त आक्षेपित आदेश से असंतुष्ट होना

पास हो गया।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से, गुजरात राज्य वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

अपील राज्य के स्वयं के बारे में प्रस्तुतियाँ

11. सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया

सोनावने (ऊपर) को फिर से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उक्त उक्ति 2015 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य को ही विफल कर देती है। श्री मेहता प्रस्तुत करेंगे कि 2015 के अधिनियम के लागू होने से पहले प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ दर्ज उपरोक्त पांच एफ. आई. आर. एस. मामले को 2015 के अधिनियम के तहत परिभाषित 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कहा कि 2015 के अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के तहत परिभाषित 'संगठित अपराध' शब्द 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' शब्द का उपयोग करता है। 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' शब्द की परिभाषा के एक नंगे अवलोकन से संकेत मिलता है कि यह 2015 के अधिनियम की घोषणा के बाद ही की जाने वाली किसी भी 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' को संदर्भित नहीं करता है। श्री मेहता तर्क देंगे कि उक्त शब्द का अर्थ है कानून द्वारा निषिद्ध गतिविधियाँ जिनके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं। दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष। 'दस वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर' वाक्यांश अपने आप में इंगित करता है कि 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' ऐसी गतिविधि हो सकती है, जिसे 2015 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले किया गया कहा जा सकता है।

12. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि एक विशिष्ट विशेषता

शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय यह है कि उक्त मामले में अभियुक्त व्यक्ति थे -

बरी कर दिया गया और वही इंगित करता है कि वे उस अपराध में शामिल नहीं थे जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

यह ऐसे

[2022] 17 एस. सी. आर. में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि कि यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने शिवा उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (उपरोक्त) मामले में यह टिप्पणी की है कि यह केवल तभी होता है जब महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (संक्षेप में, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999) के लागू होने के बाद अभियुक्त द्वारा एक संगठित अपराध किया जाता है।

एम. सी. ओ. सी. ए.) कि वह, पिछले आरोप पत्रों और सक्षम अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान के आलोक में, एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 3 के तहत अपराध कर चुका है।

13. अंत में, श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि यदि शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (ऊपर) में दिए गए कथन की पुष्टि की जाती है, तो उद्देश्य

परिभाषा इंगित करती है, 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी अपराध को दंडनीय बनाने के लिए, एक से अधिक मामले दर्ज होने चाहिए या दूसरे शब्दों में, यह तीसरा मामला है जिसे 2015 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए दर्ज किया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या 2015 के अधिनियम के उद्देश्य के साथ सीधे टकराव में होगी। यदि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्य को तब तक इंतजार करना होगा और संगठित अपराध को असहाय रूप से देखना होगा जब तक कि यह तीसरी बार नहीं हो जाता है।

गुजरात राज्य में 2015 अधिनियम के लागू होने के बाद एक सिंडिकेट अपराध में शामिल पाया गया है। श्री मेहता के अनुसार, 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' नया मामला दर्ज होने से दस साल पहले हो सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में, विधानमंडल का इरादा 2015 अधिनियम के प्रारंभ से पहले दस वर्षों के भीतर दर्ज किए गए सभी अपराधों या आरोप पत्रों पर ध्यान देकर 2015 अधिनियम को तत्काल प्रभाव देने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था।

15. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रार्थना करता है कि इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अनुपात

शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (ऊपर) को या तो तदनुसार समझाया जा सकता है, 2015 के अभिनेता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है।

गुजरात राज्य v. संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

स्वयं जवाबदेह के बारे में सुझाव

स्वीकार किया गया

16. दूसरी ओर, इस अपील का जोरदार विरोध किया गया है

यह कहा जा सकता है कि विवादित आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कानून बनाया गया था। वह प्रस्तुत करेगा कि इस का निर्णय शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (उपरोक्त) के मामले में अदालत उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी आरोपी को जमानत पर रिहा करने के उद्देश्य से उस उक्ति को सही ढंग से लागू किया है, जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है।

17. विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि यदि व्याख्या रखी जाती है

विद्वान महान्यायवादी द्वारा अग्रेषित किए जाने पर यह स्वीकार किया जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन होगा, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस अपराध के जो अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के किए जाने के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन करता है और न ही उससे अधिक दंड के अधीन होगा जो अपराध के किए जाने के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था।

18. विद्वान वकील ने आगे कहा कि 2015 के अधिनियम की योजना यह स्पष्ट करती है कि यह केवल तभी है जब कोई आरोपी अपराध करता है 2015 के अधिनियम की घोषणा के बाद एक संगठित अपराध, तो अभियुक्त पर 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन आरोप पत्रों की सहायता से मुकदमा चलाया जा सकता है जो पिछले दस वर्षों में दायर किए गए हो सकते हैं।

19. विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेगा कि जब तक कोई ठोस अपराध नहीं होता है, केवल पिछले आरोप पत्रों का गठन नहीं होगा संगठित अपराध। वह तर्क देगा कि अपीलार्थी की ओर से प्रचार किए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं है-यह बताएँ कि संगठित अपराध के अपराध में स्वयं अतीत में दायर आरोप पत्र शामिल हैं जिनका संज्ञान लिया जाता है। वह तर्क देगा कि अगर ऐसा कोई विवाद है

अगर यह स्वीकार किया जाना था, तो यह पुलिस को किसी को भी लंबे समय तक जेल भेजने के लिए खुली छूट देने के बराबर होगा, केवल फाइल करके।

एक से अधिक अपराधों के संबंध में आरोप पत्र।

20. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उसे खारिज किया जा सकता है।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विश्लेषण

21. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल

हमारे विचार के लिए यह है कि क्या शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

गुजरात के नियंत्रण का एक अवलोकन

आतंकवाद और संगठन अपराध अधिनियम, 2015

22. गुजरात आतंकवाद नियंत्रण अधिनियम, 2015, जैसा कि इसके लंबे शीर्षक से पता चलता है, एक ऐसा अधिनियम है जो आतंकवाद और उसकी रोकथाम के लिए विशेष प्रावधान करता है।

आतंकवादी कृत्यों का नियंत्रण और संगठित अपराध सिंडिकेट्स द्वारा आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में वे कारण शामिल हैं, जो विधायिका के कदम उठाने के लिए आधार का गठन करते हैं:

पहला, संगठित अपराध जो कुछ वर्षों से अस्तित्व में है।

समाज के लिए एक गंभीर खतरा है;

दूसरा, संगठित अपराध राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं है।

सीमाएँ;

तीसरा, संगठित अपराध अनुबंध हत्या, जबरन वसूली, तस्करी और निषिद्ध, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, फिरौती के लिए अपहरण, सुरक्षा धन के संग्रह और धन शोधन और अन्य गतिविधियों से उत्पन्न अवैध धन से प्रेरित है।

चौथा, अवैध धन और काला धन

संगठित अपराध अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पाँचवाँ, संगठित अपराध सिंडिकेट नार्कोटेररिज्म को बढ़ावा देने वाले आतंकवादियों के साथ सामान्य कारण बनाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर से परे है।

सीमाएँ;

छठा, दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कानूनों और न्यायनिर्णायक प्रणाली के संदर्भ में मौजूदा कानूनी ढांचा अपर्याप्त पाया गया

संगठित अपराध पर अंकुश लगाना और उसे नियंत्रित करना; तथा

सातवाँ, विशेष कानून को 'कड़े और निवारक प्रावधानों' के साथ अधिनियमित किया गया था, जिसमें कुछ परिस्थितियों में, शक्ति भी शामिल थी।

तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचार को रोकना।

अधिनियम के दायरे को समझने के लिए, तीन परिभाषाओं पर जोर दिया जाना चाहिएः

ए। संगठित अपराध (धारा 2 (1) (ई));

संगठित अपराध सिंडिकेट (धारा 2 (1) (च)); और

बी।

गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना (धारा 2 (1) (सी)। 3 3

सी.

अभिव्यक्ति 'संगठित अपराध' को एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। परिभाषा विस्तृत है क्योंकि यह है

'मतलब' शब्द द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक संगठित अपराध के तत्व

ये हैंः

निरंतर अवैध गतिविधि का अस्तित्व;

ए।

बी।

एक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त गतिविधि में संलग्नता; व्यक्ति एकल रूप से या संयुक्त रूप से कार्य कर सकता है।

सी.

संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य या ऐसे सिंडिकेट की ओर से;

डी।

या अन्य गैरकानूनी साधन; और उद्देश्य आर्थिक लाभ या अनुचित लाभ प्राप्त करना है।

ई.

व्यक्ति के लिए आर्थिक या अन्य लाभ

गतिविधि या किसी अन्य व्यक्ति को करने या बढ़ावा देने के लिए

विद्रोह।

1 धारा 2 (1) (ई)-"संगठित अपराध" से कोई भी निरंतर गैरकानूनी गतिविधि और आतंकवादी कार्य अभिप्रेत है जिसमें जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले

साइबर अपराध, बड़े पैमाने पर जुआ रैकेट चलाना, महिलाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति के लिए रैकेट या फिरौती, किसी व्यक्ति द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा या हिंसा की धमकी या धमकी या जबरदस्ती, या अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग करना शामिल है। 2 2 धारा 2 (1) (च)-"संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह अभिप्रेत है जो अकेले या सामूहिक रूप से संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त सिंडिकेट या गिरोह के रूप में कार्य करता है।

3 धारा 2 (1) (सी)-"गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" का अर्थ है कुछ समय के लिए कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि, जो तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जिसे अकेले या संयुक्त रूप से एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है, जिसके संबंध में दस साल की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं और उस अदालत ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है; [2022] 17 एस. सी. आर.

संगठित अपराध की उपरोक्त परिभाषा, जैसा कि इसके तत्वों से पता चलता है, दो अन्य अवधारणाओं को शामिल करती है, अर्थात् एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि। और एक संगठित अपराध सिंडिकेट। इसलिए, उन दोनों अभिव्यक्तियों के दायरे को समझना आवश्यक हो जाता है। एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के तत्व हैं:

गतिविधि को कुछ समय के लिए कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

ए।

बल;

बी।

गतिविधि एक संज्ञेय कार्य होना चाहिए जो दंडनीय हो।

तीन साल या उससे अधिक की कैद;

यह गतिविधि या तो अकेले या संयुक्त रूप से की जा सकती है -

सी।

संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य या ऐसे सिंडिकेट की ओर से;

डी।

इस संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए जाने चाहिए थे।

पूर्ववर्ती के भीतर एक सक्षम न्यायालय के समक्ष गतिविधि का

दस वर्ष की अवधि; और

अदालत को अपराध का संज्ञान लेना चाहिए था।

ई.

'संगठित अपराध सिंडिकेट' की परिभाषा के तत्व हैं:

दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह।

ए।

जो अकेले या सामूहिक रूप से एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में कार्य करते हैं; और

बी।

संगठित अपराध की गतिविधियों में शामिल हों।

सी.

धारा 2 (1) (सी) 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' को परिभाषित करते हुए और धारा 2 (1) (ई) 'संगठित अपराध' को परिभाषित करते हुए, दोनों में शामिल हैं:

'संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से'। एक संगठित अपराध सिंडिकेट को परिभाषित करते समय, धारा 2 (1) (च) 'संगठित अपराध की गतिविधियों' को संदर्भित करती है।

धारा 3 संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। 4 उप.

4 धारा 3-(1) जो कोई भी आतंकवादी कार्य या संगठित अपराध का अपराध करता है, (i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वह मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा। ((ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।

या अधिवक्ता, सहायक या जानबूझकर एक आयोग की सुविधा प्रदान करता है

संगठित अपराध या संगठित अपराध की तैयारी करने वाला कोई कार्य। उप-धारा (3) में वह व्यक्ति शामिल है जो आश्रय देता है या छिपाता है या आश्रय देने का प्रयास करता है या

संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी भी सदस्य को छिपाएँ। उप-धारा (4) में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है। उप-धारा (5) में वह व्यक्ति शामिल है जिसके पास किसी संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त कोई संपत्ति है या जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट के धन के माध्यम से अर्जित किया गया है। धारा 4 एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से गैर-जिम्मेदार संपत्ति के कब्जे को दंडित करती है।

23. किसी व्यक्ति पर संगठित अपराध का आरोप लगाने या संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने के लिए, यह साबित करना आवश्यक होगा कि

संबंधित व्यक्तियों ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

एक गतिविधि,

((i)

जो कानून द्वारा निषिद्ध है,

((ख)

(iii)

जो कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है

तीन साल या उससे अधिक के लिए,

((iv) अकेले या संयुक्त रूप से किया गया,

संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में अर्थात

(v)

सिंडिकेट या गिरोह, या ऐसे सिंडिकेट की ओर से,

(2) जो कोई भी साजिश करता है या करने का प्रयास करता है या वकालत करता है, बढ़ावा देता है या जानबूझकर किसी भी आतंकवादी कृत्य या संगठित अपराध या किसी भी कार्य को करने में मदद करता है।

(4) कोई भी व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, उसे पांच साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।

(5) जो कोई भी आतंकवादी कृत्य या संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति रखता है या जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट फंड के माध्यम से अर्जित किया गया है, वह तीन साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा।

(vi) (क) समान गतिविधियों (अतीत में) के संबंध में

एक आरोप-पत्र सक्षम अदालत में दायर किया गया है

दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि, (ख) और न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है।

(vii) गतिविधि निम्नलिखित द्वारा की जाती है:

((क) हिंसा, या

(ख) हिंसा की धमकी, या धमकी या

(ग) जबरदस्ती या

((घ) अन्य गैरकानूनी साधन

((क) आर्थिक लाभ प्राप्त करने या अनुचित या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए,

या

(ख) विद्रोह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।

बल जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जो अकेले या संयुक्त रूप से इसके सदस्य के रूप में किया जाता है। संगठित अपराध सिंडिकेट या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, जिसकी गतिविधि के संबंध में दस साल की पिछली अवधि के भीतर एक सक्षम अदालत के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं और अदालत ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है।

मामलों में बेल का प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रांट

2015 का अधिनियम

25. हालांकि, श्री मेहता ने पूरी निष्पक्षता के साथ कहा कि

जहाँ तक अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अभियुक्त के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बाधित नहीं किया जा सकता है। फिर भी चूंकि यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत के आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें 2015 के अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए हैं, हम जमानत देने के सिद्धांतों को दोहराना उचित समझते हैं।

26. गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने में आम तौर पर न्यायालय के विचार इस प्रकार हैं:

अपराधों की प्रकृति और गंभीरता; साक्ष्य का चरित्र; गुजरात का राज्य v.

ऐसी परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हों;

(3)

(4)

अभियुक्त की उपस्थिति की एक उचित संभावना नहीं

मुकदमे में सुरक्षित होना;

गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका;

(5)

(6)

जनता या राज्य और इसी तरह के अन्य लोगों का व्यापक हित

कारक जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक हो सकते हैं।

27. हालाँकि, यदि किसी मामले में 2015 के अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग किया जाता है, तो उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों के अलावा, 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों में लगाई गई सीमाओं को जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैः

" 20. (4) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति नहीं यदि अभिरक्षा में है तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाएगा।

जब तक कि

(क) लोक अभियोजक को एक अवसर दिया गया है - इस तरह के रिलीज के आवेदन का विरोध करें; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है,

विशेष न्यायालय संतुष्ट है कि इसके लिए उचित आधार हैं

यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्त ऐसा करने का दोषी नहीं है

अपराध और यह कि उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है जबकि

जमानत पर "।

28. उप-धारा में गैर-अवरोधक खंड के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा जमानत देने की शक्ति

सत्रों की संख्या न केवल संहिता की धारा 439 द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन है, बल्कि 2015 अधिनियम की धारा 20 (4) द्वारा रखी गई सीमाओं के अधीन भी है। लोक अभियोजक को अवसर देने के अलावा, अन्य दोहरी शर्तें हैंः न्यायालय को इस बात का संतोष है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। स्थितियाँ संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं। अभियुक्त के दोषी नहीं होने के बारे में विचार की गई संतुष्टि उचित आधारों पर आधारित होनी चाहिए। 'उचित आधार' अभिव्यक्ति का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त कथित [2022] 17 एस. सी. आर. का दोषी नहीं है।

सीई। प्रावधानों में विचार किए गए उचित विश्वास की आवश्यकता हैऐसे तथ्यों और परिस्थितियों का होना जो अपने आप में पर्याप्त हैं, इस संतुष्टि को दर्शाता है कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। उक्त प्रावधान के तहत निष्कर्षों को दर्ज करना अनिवार्य है।

2015 के अधिनियम के तहत जमानत।

29. न्यायालय को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए -

से

रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य

एक अन्य रिपोर्ट (2005) 5 एस. सी. सी. 264 में दर्ज की गई। हम पैरा 43,44 को उद्धृत करते हैं और

प्लाई:

" 43. मकोका की धारा 21 (4) कोई भेद नहीं करती है।

तीन साल से अधिक की अवधि के लिए बार, हालांकि उसके संलिप्तता अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ में हो सकती है, अदालत को उसे जमानत पर बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए, प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या

वह संगठित अपराध में शामिल है या इसके लिए उकसाने को निष्पक्ष रूप से आंका जाना चाहिए।

44. हमारी राय में, धारा 21 (4) के शब्दों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अदालत को एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जमानत के लिए आवेदक ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। यदि ऐसा निर्माण किया जाता है, तो जमानत देने का इरादा रखने वाले न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि

आवेदक ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। ऐसे में

यदि अभियोजन पक्ष के लिए आवेदक को दोषी ठहराने का निर्णय प्राप्त करना असंभव होगा। ऐसा नहीं हो सकता

विधायिका का इरादा। मकोका की धारा 21 (4),

इसलिए, इसका उचित अर्थ लगाया जाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायालय दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के निर्णय और मुकदमा शुरू होने से बहुत पहले जमानत देने के आदेश के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। इसी तरह, अदालत को एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होगी

जमानत मिलने के बाद उसके अपराध करने की संभावना।

हालाँकि, भविष्य में ऐसा अपराध अधिनियम के तहत अपराध होना चाहिए न कि कोई अन्य अपराध। क्योंकि इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। एक अभियुक्त के भविष्य के आचरण के लिए, न्यायालय को अनिवार्य रूप से गुजरात राज्य V.

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए

अभियुक्त की पूर्ववृत्तियाँ, उसकी प्रवृत्तियाँ और प्रकृति

और जिस तरीके से उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है

अपराध।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

46. इस स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य यह नहीं है कि वह

सबूत सावधानीपूर्वक लेकिन आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए

व्यापक संभावनाएँ। हालांकि, एक विशेष के साथ काम करते हुए

अन्तर्विष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मकोका जैसी क़ानून

अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) में, न्यायालय मामले की गहराई से जांच करनी होगी ताकि इसे सक्षम किया जा सके

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि एकत्र की गई सामग्री जाँच के दौरान अभियुक्त निर्णय को उचित नहीं ठहरा सकता है।

विश्वास का। अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जबकि

जमानत देना या देने से इनकार करना निस्संदेह अस्थायी होगा।

प्रकृति, जिसका योग्यता पर कोई असर नहीं हो सकता है

इस प्रकार, मामला और विचारण न्यायालय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा

किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित किया जा रहा है। ' राज्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

ओ. महाराष्ट्र वी. शिव एलियास शिवाजीरामाजी सोनावने

30. अब हम इस न्यायालय के फैसले पर गौर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (ऊपर) के मामले में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इस कवायद को शुरू करने से पहले, हमें प्रफुल्ल उद्धव शेंडे बनाम में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के फैसले पर गौर करना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य, 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1848: (2009) 2 एयर बॉम आर 1, जिसे

महाराष्ट्र राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और जिसका शीर्षक शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (सुप्रा) था।

31. प्रफुल्ल (ऊपर) में उच्च न्यायालय ने अपराधियों के एक समूह का फैसला सुनाया।

अलग-अलग दोषियों द्वारा दायर अपील। अभियुक्त व्यक्तियों को मकोका की धारा 3 (4) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने भी अपीलकर्ताओं में से एक थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों के समूह में।

32. उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद

एम. सी. ओ. सी. ए. ने जयसिंह अशरफिलाल यादव और अन्य बनाम के मामले में एक खंड पीठ द्वारा दिए गए अपने स्वयं के निर्णय पर गौर किया।

राष्ट्र और अन्य ने 2003 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1506 में रिपोर्ट किया। हम.प्रफुल्ल में उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 42 और 43 का जवाबः

" 42. जयसिंह अशरफिलाल यादव बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

2003 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1506 में रिपोर्ट की गई, जिसके लिए विद्वान

ए. पी. पी. ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, इस न्यायालय की एक खंड पीठ थी

एम. सी. ओ. सी. के प्रावधानों की संवैधानिकता पर विचार

एक्ट करें। न्यायालय ने पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 9. संगठित अपराध की परिभाषा का विश्लेषण,

इसलिए, यह पता चलेगा कि गैरकानूनी गतिविधि जारी है

इसके घटकों में से एक है जबकि किसी गतिविधि को जारी रखने को गैरकानूनी बनाने के लिए, इसे दाखिल करने का खुलासा करना चाहिए गतिविधि के संबंध में न्यूनतम दो आरोप पत्र

लागू कानून और निर्दिष्ट प्रकृति द्वारा निषिद्ध

धारा 2 (घ) पूर्ववर्ती दस वर्षों की अवधि के दौरान। में। दूसरे शब्दों में, उन कृत्यों के संबंध में दो आरोप पत्र दायर करना जो पहले से ही कानून के तहत घोषित किए गए हैं

धारा के तहत निर्दिष्ट प्रकृति के अपराधों के रूप में बल

2 (घ) दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान उक्त के तहत संगठित अपराध के अपराध के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है।

अधिनियम "। (जोर दिया गया)

43. न्यायालय ने तब अनुच्छेद के आधार पर चुनौती पर विचार किया

20 (1) भारत का संविधान। पैराग्राफ 19 में न्यायालय ने

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 19. अधिनियम या गतिविधि के बीच बहुत अंतर है जिसे एक क़ानून के तहत अपराध कहा जा रहा है या कहा जा रहा है और इस तरह के कार्य या गतिविधि को क़ानून के तहत कार्रवाई करने के लिए आवश्यकताओं में से एक के रूप में माना जा रहा है। पहली स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के

जनादेश को संतुष्ट करना पड़ता है, हालांकि, बाद की स्थिति के मामले में, यह पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है। निसन्देह, के लिए

संगठित अपराध का उद्देश्य निरंतर बना रहना चाहिए।

गैरकानूनी गतिविधि। जारी रखना गैरकानूनी नहीं हो सकता है।

गतिविधि जब तक कि कम से कम दो आरोप पत्र दंडनीय अपराध के संबंध में दर्ज नहीं किए गए हैं।

दस वर्ष की अवधि के दौरान तीन वर्ष के कारावास के साथ। निर्विवाद रूप से, दस वर्ष की अवधि गुजरात राज्य v से संबंधित हो सकती है।

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

24-2-1999 से पहले या उसके बाद की अवधि। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान करता है कि वे गतिविधियाँ जो इसके तहत अपराध थीं

प्रासंगिक समय पर लागू कानून और जिसके संबंध में दो आरोप पत्र दायर किए गए हैं और न्यायालय ने लिया है

इसका संज्ञान लेते हुए, पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान, इसे 24-2-1999 पर या उसके बाद जारी गैरकानूनी गतिविधि माना जाएगा। यह कहीं भी 24-2-1999 से पहले उक्त अधिनियम के तहत किसी भी गतिविधि को अपराध घोषित नहीं करता है। यह 24-2-1999 से पहले की गई किसी भी गतिविधि को उक्त अधिनियम के तहत अपराध में परिवर्तित नहीं करता है। यह केवल उन कृत्यों के संबंध में दो आरोप पत्रों को मानता है जिन्हें पहले से ही लागू कानून के तहत अपराध के रूप में घोषित किया गया था, जो निरंतर गैरकानूनी गतिविधि की पहचान करने और/या उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई के उद्देश्य से आवश्यक है। यह अपने आप में

शीर्ष द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए किसी भी तरह से अनुच्छेद 20 (1) के जनादेश का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

राव शिव बहादुर सिंह के मामले में अदालत और साथ ही

सज्जन सिंह के मामले में।

53. इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्रफुल्ल (ऊपर) के पैरा 44 में अपने निर्णय को भारत शांतिलाल में एक खंड पीठ द्वारा दिया। महाराष्ट्र राज्य ने 2003 में ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1061 दर्ज किया। शांतिलाल शाह (ऊपर) में, चुनौती संवैधानिक के लिए थी

मकोका से। हम पैराग्राफ 44,45 और 46 का जवाब देते हैं:

44. भारत में शांतिलाल शाह बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

2003 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1061 में एम. सी. ओ. सी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर विचार किया गया था।

एक और डिवीजन बेंच। अवैध रूप से जारी रखने की परिभाषा

धारा 2 (1) (डी) में गतिविधि पर हमला करने की मांग की गई थी

निम्नलिखित तर्कों को आगे बढ़ाना:

" 19. धारा 2 (1) (डी) में 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' की अगली परिभाषाओं से निपटने के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि -

यह अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से ग्रस्त है क्योंकि यह असमान लोगों को समान मानता है। यह गैरकानूनी गतिविधि को जारी रखने वाली गतिविधि बनाता है यदि तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध के एक से अधिक आरोप दायर किए जाते हैं।

सक्षम न्यायालय, यदि किसी गतिविधि को गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने के रूप में नहीं छूता है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे [2022] 17 एस. सी. आर.

अपराधी होने के नाते उसके खिलाफ एक से अधिक आरोप पत्र दायर नहीं किए गए हैं। एक व्यक्ति पर दस बार अपराध का आरोप लगाया जाता है, हालांकि वह हर अवसर पर बरी हो जाता है, फिर भी उसे गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने में लगे व्यक्ति के रूप में शामिल किया जा सकता है। जबकि एक व्यक्ति जिसे तीन साल की सजा के लिए अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, उसे इससे छुआ नहीं जा सकता है।

परिभाषा यदि उस पर ऐसे दो से अधिक अपराधों का आरोप नहीं लगाया गया है। इसलिए परिभाषा समान व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करती है जो निराशाजनक रूप से असमान हैं अर्थात एक व्यक्ति जो एक ज्ञात अपराधी है लेकिन आरोप पत्र और दोषी एक से अधिक बार नहीं है और दूसरा जिस पर 10 मनगढ़ंत आरोपों का झूठा आरोप लगाया गया है और सभी 10 आरोपों से इस निष्कर्ष के साथ बरी कर दिया गया है कि आरोप मनगढ़ंत थे, लेकिन केवल इसलिए कि इसका संज्ञान लिया गया है।

आरोप को निरंतर गैरकानूनी गतिविधि में लगे व्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसलिए यह परिभाषा मनमाना है और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में निरस्त की जा सकती है। तर्क पहले ब्लश में आकर्षक प्रतीत होते हैं, लेकिन

गहन जांच से तर्क के खोखलेपन का पता चलता है।

45. इस परिभाषा की आपत्तियों पर विचार करते हुए न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 25 में कहाः

" 25. तब हम श्री मनोहर के इस कथन पर विचार करेंगे कि गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने की परिभाषा का उल्लंघन करती है।

अनुच्छेद 14 का अधिदेश और इसलिए इसे निरस्त किया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। केवल एक बार आरोपित व्यक्तियों को अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जाता है, बल्कि एक व्यक्ति, जिसके खिलाफ कई आरोप बनाए जाते हैं और सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, जिसे बाद में बरी कर दिया जाता है, परिभाषा के दायरे में आता है। उनके अनुसार इसलिए एक व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, दस आरोपों को उस व्यक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है जिसने आरोप लगाया और दोषी ठहराया। केवल एक अपराध। हमारी राय में, इस परिभाषा से अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि हम परिभाषा को फिर से पढ़ते हैं, तो जिसे गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने के रूप में परिभाषित किया गया है, वह संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, जिसके संबंध में कोई भी गतिविधि कानून द्वारा निषिद्ध है और बार-बार की जाती है, यानी एक से अधिक बार जिसके लिए न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है।

पिछले दस वर्षों में सक्षम अधिकार क्षेत्र।

ई स्टेट ऑफ गुजरात का उद्देश्य v. संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

परिभाषा यह परिभाषित करना है कि निरंतर गैरकानूनी गतिविधि क्या है

और यह परिभाषित करने के उद्देश्यों के लिए है कि क्या जारी है

गैरकानूनी गतिविधि जिसमें उन आरोपों को लिया जाना है विचार करें। केवल ऐसे प्रभारों पर विचार करना

श्री द्वारा कथित प्रकार के भेदभाव का परिणाम नहीं हो सकता है

मनोहर। गतिविधि गैरकानूनी गतिविधि जारी रखनी चाहिए।

और इसे स्पष्टता के साथ परिभाषित करने के लिए यह प्रदान किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो

अतीत में एक से अधिक आरोपों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था

ऐसी गतिविधि या अपराध जिसका संज्ञान लिया गया हो।

और कारावास जिसके लिए तीन साल से अधिक का कारावास होना चाहिए

ध्यान में रखा जाए। व्यक्ति के होने का तथ्य

अतीत में इस तरह के संज्ञेय अपराधों में आरोप पत्र

गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना। यह खंड केवल यह परिभाषित करता है कि गतिविधि क्या है। यह स्वयं प्रदान नहीं करता है

उस गतिविधि के लिए कोई सजा। क्या सजा दी गई थी

बशर्ते कि यह सजा देते समय धमकी देता है

बराबर के रूप में असमान भार वहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि

अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) को चुनौती देने के मामले में हम नहीं देखते हैं

परिभाषा के अनुसार अनुच्छेद 14 की अस्पष्टता या उल्लंघन। हम पाते हैं।

कि प्रावधान उन सभी लोगों के साथ समान तरीके से व्यवहार करता है जो इसके अंतर्गत आते हैं

और वर्ग विधान के दोष से पीड़ित नहीं है।

(जोर दिया गया)

46. पैराग्राफ 27 में न्यायालय ने आगे कहा कि

आर:

" 27. हम इस चुनौती में भी सार नहीं पाते हैं कि

दृढ़ विश्वास। आरोप के बाद की परिस्थितियाँ हैं - सामग्री नहीं। प्रावधान केवल यह परिभाषित करता है कि क्या जारी है

गैरकानूनी गतिविधियाँ और यह संदर्भित करता है कि क्या किसी व्यक्ति को

देखने के उद्देश्य से दस साल की अवधि में आरोपित किया गया क्या व्यक्ति पर पहली बार आरोप लगाया गया है या लगाया गया है

अक्सर चार्ज करें। दोषसिद्धि या दोषमुक्त होने की परिस्थिति

शुल्क के बाद जो आया वह सामग्री नहीं है। सीमित उद्देश्य

व्यक्ति के पूर्वजों को देखना है। दोषी ठहराने के लिए नहीं।

(जोर दिया गया)

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. इस प्रकार, प्रफुल्ल (ऊपर) ने भरत शांतिलाल शाह (ऊपर) के पैराग्राफ 19,25 और 27 के जवाब पर गौर किया। यह राज्य के लिए जगह से बाहर नहीं हो सकता है

भारत शांतिलाल शाह (ऊपर) में बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 3 और 4 स्वाभाविक रूप से पुरुषत्व पर विचार करती हैं। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 13 से 16 में निहित प्रावधानों को छोड़कर मकोका के प्रावधान वैध हैं और धारा 13 से 16 के प्रावधानों को राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे बताते हुए निरस्त कर दिया। का उच्च न्यायालय

बॉम्बे के न्यायपीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 'मकोका' की धारा 21 की उप-धारा (5) में या किसी अन्य अधिनियम के तहत विचाराधीन अपराध की तारीख को शब्द संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं और इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। 35. भारत शांतिलाल शाह (उपरोक्त) के मामले में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के फैसले को महाराष्ट्र राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी क्योंकि इसने मकोका की धारा 13 से 16 के जवाब को असंवैधानिक ठहराया था। महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ v. (2008) 13 एस. सी. सी. 5 में भारत शांति लाल शाह और अन्य ने धारा 21 की उप-धारा (5) से 'या किसी अन्य के तहत' शब्दों को हटाने वाले बॉम्बे में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न अनिवार्य रूप से संविधान की संवैधानिकता से संबंधित थे

बातचीत या संचार का अवरोधन, जो मकोका की धारा 13 से 16 के जवाब का विषय था। इस न्यायालय ने फैसले को केवल उस हद तक उलट दिया जब तक कि उच्च न्यायालय ने प्रावधानों को अनुचित ठहराया।

36. संविधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए भरत शाह द्वारा कोई क्रॉस अपील दायर नहीं की गई थी।

एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) (डी), (ई) और (एफ) और धारा 3 और 4 के प्रावधान। इसलिए, इस न्यायालय के पास इस मामले में जाने का कोई अवसर नहीं था

सवाल करते हैं। हालाँकि, इस न्यायालय ने कहा कि कोई अस्पष्टता नहीं थी क्योंकि परिभाषाओं को स्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया था कि जारी रखने का क्या अर्थ था।

एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) (डी), (ई) और (एफ) और धारा 3 और 4 की वैधता, कि अदालत निष्कर्ष पर पहुंची थी उच्च न्यायालय द्वारा कि उपरोक्त प्रावधानों को संविधान के विपरीत नहीं कहा जा सकता है और इस न्यायालय को उपरोक्त प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग कोई कारण नहीं मिला।

37. बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की पुष्टि की थी जिसमें कहा गया था कि

गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, यह निवेदन कि दंडित करते समय, यह असमान लोगों को बराबर मानता है, महत्व ले सकता है।

उच्च न्यायालय, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, ने 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' को परिभाषित करने वाले प्रावधान की वैधता को केवल इसलिए बरकरार रखा क्योंकि अधिनियम में उस गतिविधि के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था। भारत शांतिलाल शाह (ऊपर) के पैरा 27 में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने का सीमित उद्देश्य व्यक्ति के पूर्ववृत्त को देखना था न कि दोषी ठहराना। धारा 2 न केवल 'संगठित अपराध' के अपराध को परिभाषित करती है, बल्कि मकोका में उपयोग किए जाने वाले अन्य शब्दों को भी परिभाषित करती है। जो सामग्री है वह 'संगठित अपराध' के अपराध की परिभाषा है न कि धारा 2 में शामिल अन्य शब्दों की परिभाषा। यदि 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' शब्द 'संगठित अपराध' का पर्याय होता, तो विधानमंडल के लिए दो को शामिल करना या प्रदान करना आवश्यक नहीं होता।

परिभाषाएँ। यह गैरकानूनी गतिविधि को जारी रखने की केवल एक परिभाषा प्रदान करने और उस गतिविधि को दंडनीय बनाने के लिए पर्याप्त होता। उप-धारा (1) के खंड (घ) और (ङ) में दी गई परिभाषाएँ स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि संगठित अपराध का एक घटक अवैध रूप से जारी रहना है।

गतिविधि और इसलिए, संगठित अपराध केवल निरंतर गैरकानूनी गतिविधि से कुछ अधिक है।

38. इसके बाद उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 47 से 53 के जवाब में कहाः

" 47. अदालत ने तब आपत्तियों को खारिज कर दिया

परिभाषा की संवैधानिक वैधता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पिछली आरोप-पत्रों के अलावा एक

निरंतरता, एक गतिविधि जिसके लिए मकोका लागू किया जाता है।

48. यह इस निष्कर्ष को मजबूत करता है कि केवल दाखिल करने का प्रमाण

अतीत में आरोप पत्र पर्याप्त नहीं है। यह संगठित अपराध के गठन के लिए केवल एक या आवश्यकता है। अगर केवल पिछले आरोप पत्र संगठित अपराध के रूप में पर्याप्त होते, तो इससे अपराध को ठेस पहुंच सकती थी।

संविधान के अनुच्छेद 20 (1) की आवश्यकता और संभवतः अनुच्छेद 20 (2) भी (और किसी भी मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300)। क्या उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय की खंड पीठों के इन निर्णयों का उल्लेख विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष किया गया था जो अमरनाथ बनाम का निर्णय कर रहे थे। राज्य, (2006 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 407: ((2006) 6 एयर बॉम आर 120), विद्वान एकल न्यायाधीश, बिना [2022] 17 एस. सी. आर.

संदेह, यह नहीं माना होगा कि यह मामला केवल एक अंकगणितीय समीकरण में से एक था। उक्त निर्णय का निर्णयों या खंड पीठों के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है।

जयसिंह बनाम। राज्य, (2003 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1506 और भरत शाह बनाम। राज्य, 2003 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1061, जिसका मैं पालन करने के लिए बाध्य हूं।

49. इसके निहितार्थ में जाना आवश्यक नहीं है संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में "अभियोजन और दंडित" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। सी. आर. पी. सी. की धारा 300 स्वयं स्पष्ट रूप से एक ही अपराध के लिए नए सिरे से मुकदमे को प्रतिबंधित करती है। एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 21, जो एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत अपराधों के लिए संहिता के संशोधित अनुप्रयोगों को निर्धारित करती है, सी. आर. पी. सी. की धारा 300 के प्रावधानों को लागू नहीं करती है। इसलिए, चूंकि आवेदकों का पिछला आपराधिक इतिहास दर्शाता है कि उन पर सक्षम न्यायालयों के समक्ष उन अपराधों के लिए अलग से आरोप लगाया गया था या उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, इसलिए ऐसे अपराधों का कोई सवाल ही नहीं है

संगठित अपराध का गठन करना।

50. अप्पा में @प्रकाश हरिभाउ लोंधे बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, 2006 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 2804 पर रिपोर्ट किया गयाः ((2006) 6 ए. आई. आर. बम आर. 401), इस न्यायालय की एक खंड पीठ थी

एम. सी. ओ. सी. अधिनियम की प्रयोज्यता की चुनौती पर विचार करना। न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 10 के तहत कहाः

" 10. संगठित अपराध के उद्देश्य के लिए एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि होनी चाहिए और गैरकानूनी गतिविधि तब तक जारी नहीं रह सकती जब तक कि दस साल की अवधि के दौरान तीन साल के कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में कम से कम दो आरोप पत्र दर्ज नहीं किए गए हों। यदि एम. सी. ओ. सी. अधिनियम द्वारा 1999 के बाद कोई अवैध गतिविधि नहीं की गई है, तो 1999 से पहले की पिछली गतिविधियों से केवल उन पिछली गतिविधियों के आधार पर कोई एफ. आई. आर. दर्ज करने में कोई मदद नहीं मिल सकती है, जैसा कि खंड पीठ (आर. एम. एस. खांडेपारकर) ने कहा है।

और पी. वी. काकाडे, जे. जे.) इस न्यायालय की 2005 की रिट याचिका संख्या 689 और अन्य याचिकाओं में, लेकिन यदि 1999 के बाद दो या दो से अधिक अवैध गतिविधियाँ की जाती हैं, तो पिछली गतिविधियों को ध्यान में रखा जा सकता है ताकि

निरंतरता। इसलिए हम श्री प्रधान द्वारा की गई प्रस्तुतियों से सहमत नहीं हैं कि गुजरात राज्य v.

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जिन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी

जैसा कि विचार किया गया है, कोई भी कार्य किया।

बरी कर दिया गया। नतीजतन, बिना एक होने के निरंतरता का संकेत देने वाला मूल अपराध, गैरकानूनी गतिविधि की कोई निरंतरता नहीं होगी और इसके परिणामस्वरूप नहीं

" गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना "।

52. सजा के प्रावधानों पर एक नज़र। एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 3 इस निष्कर्ष को मजबूत करेगी। उप-धारा (1) के खंड (i) और (ii) से पता चलता है कि "यदि ऐसा अपराध किसी व्यक्ति की मृत्यु में फिर से उपयुक्त हुआ है", तो संगठित अपराध के अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक लाख। अब, यदि केवल पुराने आरोप-पत्रों को ही पर्याप्त माना जाए, तो अतीत में हत्या के आरोप से बरी किए गए व्यक्ति को बरी किए जाने के बावजूद आजीवन कारावास के लिए भेजा जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि अतीत में आरोप पत्र दायर किया गया था। यदि इस पर विचार किया जाता, तो विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त संख्या 1/1 शिवा पर अपराध का आरोप लगाया होता।

मकोका की धारा 3 (1) (i) के तहत दंडनीय और एक नहीं मकोका की धारा 3 (1) (ii) के तहत दंडनीय, क्योंकि शिव पर एक बार हत्या का आरोप लगाया गया था (चार्ट में क्रम संख्या 9) और बरी कर दिया गया था। यही बात अन्य गैंगस्टरों के लिए भी अच्छी होगी। अधिवक्ता तिवारी, महमूद के विद्वान वकील और अन्य दिलीप में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं

सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1997) 3 वर्तमान [2022] 17 एस. सी. आर.

क्रिमिनल जर्नल 223, कि आरोप पत्र नहीं बनाया जा सकता है

अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का आधार। अतः यह स्पष्ट करें कि विभिन्न आरोप-पत्रों में निर्दिष्ट अपराध

"ऐसी पुनरावृत्ति (ओं)" नहीं हैं और परिणामस्वरूप एक अपराध नहीं हैं,

मकोका की धारा 3 के तहत दंडनीय अलग होना चाहिए।

जिन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था

अतीत में। पिछली आपराधिक गतिविधि केवल अपराध को बढ़ाती है। निरंतर गतिविधि एक अपराध और आकर्षित करने के लिए राशि

मकोका के प्रावधान।

53. इसे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अपीलकर्ताओं को नहीं दिखाया गया है

किसी भी अपराध में लिप्त जिसे निरंतरता कहा जा सकता है

की धारा 3 (1) के पिछले आपराधिक गतिविधि प्रावधानों का

मकोका आकर्षित नहीं होते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि

अपीलार्थियों ने संगठित अपराध का अपराध किया है।

39. इस स्तर पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रफुल्ल ए) में, उच्च न्यायालय ने अल्ताफ इस्माइल शेख बनाम के अपने निर्णय मामले का भी उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य, 2005 एस. सी. सी. ने बम 420: 2005 क्रि एल. जे. 3584: (2006) 1 सी. सी. आर. 391, विशेष रूप से

24 इसमें, जो इस प्रकार हैः

" 24. एम. सी. ओ. सी. अधिनियम की धारा 23 जो गैर के साथ खुलती है

अवरोध खंड और आगे नकारात्मक शब्दों के साथ कपड़े पहने हुए

स्पष्ट रूप से विधायिका के जनादेश का खुलासा करता है कि

एम. सी. ओ. सी. अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए

नियमित पाठ्यक्रम में रहें, लेकिन केवल उन तथ्यों पर जो खुलासा करते हैं इसकी प्रयोज्यता और उच्च अधिकारी की संतुष्टि

पद, न्यूनतम उप निरीक्षक के पद का होना

पुलिस महानिदेशक, उस संबंध में। वास्तव में, ऐसे अधिकारी

अनुमोदन के बारे में निर्णय लेने के लिए भी उच्च पद की आवश्यकता होती है

एम. सी. ओ. सी. के तहत किसी भी अपराध के संबंध में एफ. आई. आर. दर्ज करना

एक्ट करें। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी ने

के प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में अपना दिमाग लगाने के लिए एफ. आई. आर. दर्ज करने की अनुमति देने से पहले किसी मामले में प्रकट किए गए तथ्यों के लिए एम. सी. ओ. सी. अधिनियम और उस उद्देश्य के लिए, वह प्रथम होना चाहिए।

प्रत्यक्षतः, संगठित अपराध के बारे में संतुष्ट

व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा एमसीओसी अधिनियम के तहत अपराध

जिनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की जानी है। जाहिर है, प्रथम दृष्टया

अपराध के किए जाने के संबंध में संतुष्टि

संगठित अपराध या उसमें किसी भी तरह से भागीदारी, गुजरात राज्य V.

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अनुमोदन प्राधिकारी के पास कुछ सामग्री होनी चाहिए

व्यक्ति या व्यक्तियों की गतिविधियों का खुलासा करना

एम. सी. ओ. सी. अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति और 24 फरवरी, 1999 को या उसके बाद ऐसी गतिविधियाँ की गईं। में।

दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति की गतिविधियों को कहा जाना चाहिए एम. सी. ओ. सी. अधिनियम के तहत अपराध, वही अनिवार्य रूप से होना चाहिए

24 फरवरी को या उसके बाद किए जाने का खुलासा,

1999. यदि व्यक्ति की गतिविधि अवधि से संबंधित है

24 फरवरी, 1999 से पहले, जाहिर है, यह नहीं कहा जा सकता है

एमसीओसी अधिनियम के तहत एक अपराध हो सकता है, भले ही गतिविधि

किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत अपराध होना

उपयुक्त समय पर बल "।

(जोर दिया गया)

40. इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न अन्य पहलुओं पर भरोसा करते हुए विचार लिया

निर्णय कि यदि एम. सी. ओ. सी. ए. द्वारा विचारित कोई अवैध गतिविधि नहीं है

यह दिखाया गया है कि यह 1999 के बाद किया गया था, तो 1999 से पहले की पिछली गतिविधियों से केवल ऐसी पिछली गतिविधियों के आधार पर कोई प्राथमिकी दर्ज करने में कोई मदद नहीं मिल सकती है। इसके अलावा, यदि 1999 के बाद दो या दो से अधिक अवैध गतिविधियाँ की जाती हैं, तो निरंतरता दिखाने के लिए पिछली गतिविधियों को ध्यान में रखा जा सकता है।

41. महाराष्ट्र राज्य उपरोक्त से असंतुष्ट है

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय ने इस न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी। यह कथित चुनौती है जिसकी परिणति शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (सुर्प) नामक निर्णय में हुई।

42. अब हम किए गए प्रासंगिक अवलोकनों पर गौर करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

इस न्यायालय द्वारा, जैसा कि पैरा 9,10 और 11 में निहित हैः

" 9. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में था कि उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था

कि एक बार उत्तरदाताओं को अपराधों के लिए बरी कर दिया गया था

आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संख्या। 37

धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी बरी होना। मकोका अपराध सं. में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पढ़ें। 1

और 2002 का 2, जो कुछ भी दोषपूर्ण बना रहा वह फाइलिंग थी

पूर्व में उत्तरदाताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र और

की अवधि में सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना

मैकोका के प्रवर्तन से दस साल पहले। दाखिल करना आरोप पत्र या उसी में संज्ञान लेने से [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय द्वारा घोषित नहीं, अपने आप में एम. एस. ओ. सी. ए. की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले अपराधों में उत्तरदाताओं की भागीदारी केवल एक आवश्यकता के बारे में थी लेकिन किसी भी तरह से एकमात्र आवश्यकता नहीं थी।

जिसे अभियोजन पक्ष को दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए संतुष्ट करना होता है

मैकोका के तहत। समान रूप से, यदि नहीं, तो अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदाताओं द्वारा अपराध करना था जो "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" का गठन करेगा। जब तक वह आवश्यकता विफल रही, जैसा कि तत्काल मामले में स्थिति थी, तब तक उत्तरदाताओं को दोषी ठहराने का कोई सवाल ही नहीं था। मकोका की धारा 3। यह तर्क, हमारी राय में नहीं है,

किसी भी दुर्बलता से पीड़ित।

10. तथ्य यह है कि प्रतिवादियों के खिलाफ दंडनीय अपराधों का आरोप लगाते हुए एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए थे

तीन साल से अधिक की कैद पर्याप्त नहीं है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा एम. सी. ओ. सी. ए. के अधिनियमन से पहले अपराधों के आयोग द्वारा सही बताया गया है, अपने आप में मैकोका के तहत अपराध नहीं है। मामले दर्ज करना, आरोप पत्र दाखिल करना और सक्षम लोगों द्वारा संज्ञान लेना।

प्रत्यर्थियों द्वारा अतीत में किए गए कथित अपराध के संबंध में अदालत, एम. एस. ओ. सी. ए. की धारा 3 के आह्वान के लिए आवश्यकताओं में से एक है। की निरंतरता

गैरकानूनी गतिविधियाँ दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। आवश्यकताएँ जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब उद्घोषणा के बाद आरोपी द्वारा एक संगठित अपराध किया जाता है।

एम. सी. ओ. सी. ए. कि वह, पिछले आरोप पत्रों और सक्षम न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान के आलोक में देखा जा सकता है,

कहा जाता है कि उसने अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध किया है।

11. वर्तमान मामले में, वे अपराध जो प्रत्यर्थियों पर उद्घोषणा के बाद किए जाने का आरोप है

उनके खिलाफ मकोका साबित नहीं हुआ। अपराध सं. में प्रत्यर्थियों को बरी करना। 37 और 2001 का 38 इंगित करता है कि वे उन अपराधों में शामिल नहीं थे जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। इतना ही नहीं प्रत्यर्थियों को अपराध मामलों संख्या में भी शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था। 1 और 2002 का 2। उस बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं राज्य द्वारा दायर किया गया था। इसका तात्पर्य यह था कि अभियोजन पक्ष गुजरात राज्य v के लिए आवश्यक दूसरे घटक को साबित करने में विफल रहा था।

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मकोका के तहत अपराध को पूरा करना। उच्च न्यायालय था,

इसलिए, यह अभिनिर्धारित करने का अधिकार है कि मैकोका की धारा 3 ऐसा नहीं कर सकती

केवल पिछले आरोप पत्रों के आधार पर लागू किया जाए

धारा 3 केवल तभी लागू होगी जब उत्तरदाता

साबित हुआ कि उसने लाभ के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपराध किया है।

आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ

मकोका की घोषणा। ऐसा होने पर, उच्च

अदालत, हमारी राय में, अपील को स्वीकार करने में उचित थी और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया।

(जोर दिया गया)

43. इस प्रकार, शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (सुरपा) में, यह

अदालत ने यह विचार व्यक्त किया कि मकोका के तहत अपराध का गठन करने के लिए दो आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले, मामलों का पंजीकरण, दाखिल करना

आरोप पत्र और अतीत में अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराधों के संबंध में सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान लेना और दूसरा, गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखना। दूसरे शब्दों में, यह केवल तभी कहा जा सकता है जब आरोपी द्वारा मकोका की घोषणा के बाद एक संगठित अपराध किया जाता है कि वह, पिछले आरोप पत्रों और सक्षम अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान के आधार पर, मकोका की धारा 3 के तहत अपराध किया है।

44. निर्विवाद रूप से, शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (सुरपा) में,

अभियुक्त व्यक्तियों को दो अपराधों के संबंध में बरी कर दिया गया और उसी पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि अभियुक्त व्यक्तियों को मकोका की घोषणा के बाद कथित अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं किए जा सके। हालाँकि, इस न्यायालय ने अनिश्चित शब्दों में कहा है कि जो महत्वपूर्ण है वह है अभियुक्त द्वारा अपराध करना जो 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' का गठन करेगा और गैरकानूनी गतिविधियों को केवल तभी जारी रखा जा सकता है जब अभियुक्तों को मकोका की घोषणा के बाद एक संगठित अपराध में लिप्त पाया जाता है।

45. प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उनका यह निवेदन सही है कि 2015 के अधिनियम के कड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इसके प्रावधानों की बहुत सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और संबंधित अधिकारी उक्त प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए कानून में बाध्य होंगे। इस तथ्य पर कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि 2015 के अधिनियम के प्रावधानों को अपराध के संबंध में संगठित आपराधिक गतिविधि से निपटने के लिए

अधिनियमित किया गया है, जो आतंक पैदा करने और देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने और अस्थिर करने की संभावना रखते हैं, जिसके लिए [2022] 17 एस. सी. आर.

साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रवेश से संबंधित अन्य प्रावधान भी प्रदान किए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या जांच शुरू से ही की गई है। 2015 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से संचालित किया गया। (देखिए: महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम। ललित सोमदत्त नागपाल और एक अन्य ने (2007) 4 एस. सी. सी. 171 में रिपोर्ट किया

46. यह निर्माण का एक ठोस नियम है कि मूल कानून का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि मूल कानून को प्रभाव और संरक्षण दिया जा सके। अधिकार जब तक कि क़ानून अन्यथा इरादा नहीं करता है। सख्त निर्माण वह है जो उपयोग किए गए शब्दों द्वारा क़ानून के अनुप्रयोग को सीमित करता है। सदरलैंड के अनुसार, 'सख्त निर्माण एक क़ानून में उपयोग किए जाने वाले शब्दों के महत्व को बढ़ाने से इनकार करता है ताकि उन मामलों या कार्यों को शामिल किया जा सके जिनका शब्द स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करते हैं'।

47. जैसा कि महाजन सी. जे. ने तोलाराम रेलुमल और अनदर वी. में कहा है। ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 496 में बॉम्बे राज्य ने बताया कि "यदि दो संभावित और उचित निर्माणों को दंडात्मक प्रावधान पर रखा जा सकता है, तो अदालत को उस निर्माण की ओर झुकना चाहिए जो विषय को दंड से छूट देता है न कि उस निर्माण की ओर जो लागू करता है।

एक दंड। यह अदालत के लिए सक्षम नहीं है कि वह विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति के अर्थ को आगे बढ़ाए

विधायिका का इरादा। "झारखंड राज्य में और अन्य बनाम। अंबे सीमेंट्स और एक अन्य ने (2005) 1 एस. सी. सी. 368 में रिपोर्ट किया, इस न्यायालय ने कहा कि यह व्याख्या का एक स्थापित नियम है कि जहां एक क़ानून दंडात्मक है, उसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। दंडात्मक कानून के सख्त निर्माण का मूल नियम यह है कि किसी व्यक्ति को कानून के स्पष्ट पत्र के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। दंडात्मक कानूनों की व्याख्या में अनुमानों या धारणाओं की कोई भूमिका नहीं है। उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से समझा जाना चाहिए। कुछ भी निहित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, अदालतें इस बात से इतनी चिंतित नहीं होती हैं कि संभवतः उनका क्या इरादा हो सकता है। इसके बजाय, वे वास्तव में जो कहा गया है उससे चिंतित हैं।

48. हमारा विचार है और वही शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (उपरोक्त) में दिए गए कथन के अनुरूप होगा कि

2015 के अधिनियम के लागू होने के बाद कुछ ऐसा कार्य या चूक होनी चाहिए जो संगठित अपराध के बराबर हो, अर्थात गुजरात राज्य बनाम के संबंध में।

संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जिसे, अभियुक्त पर पहली बार विशेष मामले में मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

अदालत।

49. हम जयसिंह (उपरोक्त) के मामले में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से सहमत हैं कि न तो 'संगठित अपराध' शब्द की परिभाषा और न ही 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' शब्द का कोई अन्य प्रावधान और न ही इसमें कोई अन्य प्रावधान मकोका के अधिनियमन से पहले की गई किसी भी गतिविधि को 1999 के अधिनियम के तहत अपराध घोषित करता है और न ही सजा से संबंधित प्रावधान 1999 के अधिनियम, यानी <ID1] के प्रवर्तन की तारीख से पहले के किसी भी अपराध से संबंधित है। तथापि, धारा 2 (1) (घ) में 'दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि' का उल्लेख करके, जो 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' शब्द का एक परिभाषा खंड है, यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है कि वास्तव में, यह 1999 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किए गए कार्यों को 1999 के अधिनियम के तहत एक अपराध के रूप में अपने दायरे में लेता है। यही समानता 2015 के अधिनियम पर भी लागू होगी।

50. उस अधिनियम या गतिविधि के बीच एक बड़ा अंतर है, जिसे एक क़ानून के तहत अपराध कहा जा रहा है या कहा जा रहा है और ऐसा अधिनियम या

कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए एक आवश्यकता के रूप में गतिविधि को ध्यान में रखा जा रहा है। संगठित अपराध के उद्देश्य के लिए, एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि होनी चाहिए। गैरकानूनी गतिविधि तब तक जारी नहीं रह सकती जब तक कि कम से कम दो आरोप पत्र अपराध के संबंध में दर्ज नहीं किए जाते हैं, जिसके दौरान तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है।

दस साल की अवधि। निर्विवाद रूप से, दस साल की अवधि 01.12.2019 से पहले या उसके बाद की अवधि से संबंधित हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान करता है कि वे गतिविधियाँ, जो प्रासंगिक समय पर लागू कानून के तहत अपराध थीं और जिनके संबंध में दो आरोप पत्र दायर किए गए हैं और न्यायालय ने पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान इसका संज्ञान लिया है, तो इसे 01.12.2019 पर या उसके बाद जारी गैरकानूनी गतिविधि के रूप में माना जाएगा। यह कहीं भी 01.12.2019 से पहले उक्त 2015 अधिनियम के तहत किसी भी गतिविधि को अपराध घोषित नहीं करता है। यह 01.12.2019 से पहले की गई किसी भी गतिविधि को अपराध में परिवर्तित नहीं करता है।

51. यदि शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर विचार किया जाता है। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ निकटता से, यह [2022] 17 एस. सी. आर. को इंगित करेगा।

'संगठित अपराध' के अपराध को कहा जा सकता हैमें एक से अधिक आरोप पत्रों द्वारा प्रमाणित निरंतर उग्र गतिविधि के अलावा, निरंतरता के कम से कम एक उदाहरण द्वारा जारी किया गया

दस साल। हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहते हैं:

(अ)

आवश्यक है।

परिभाषाएँ स्वयं इंगित करती हैं कि की सामग्री

(ख)

आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी गतिविधि में हिंसा का उपयोग की परिभाषा में शामिल नहीं है

' गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना ', लेकिन केवल में जगह पाते हैं

'संगठित अपराध' की परिभाषा।

((ग)

धारा 3 के तहत जिसे दंडनीय बनाया गया है वह 'संगठित' है।

अपराध 'और' गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना 'नहीं।

((घ)

दाखिल किए गए आरोप पत्र, धारा में अपराध का वर्गीकरण 3 (1) (i) और 3 (1) (ii) के परिणाम के आधार पर उत्तर

जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या अन्यथा शब्दबद्ध किया गया होगा अलग-अलग, अर्थात्, यह प्रावधान करके कि यदि ऐसे किसी भी अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, क्योंकि गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने के लिए एक से अधिक अपराध की आवश्यकता होती है। 'इस तरह' का संदर्भ

धारा 3 (1) में 'अपराध' का तात्पर्य एक विशिष्ट कार्य या चूक से है।

(ई)

जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया है। भारत शांति लाल शाह (ऊपर) गैरकानूनी गतिविधि जारी रखे हुए हैं

एक से अधिक आरोप पत्रों द्वारा प्रमाणित एक है

संगठित अपराध के घटकों और उसका उद्देश्य पूर्ववृत्त को देखना है और अन्य तथ्यों के प्रमाण के बिना दोषी ठहराना नहीं है, जो इसके घटकों का गठन करते हैं।

धारा 2 (1) (ई) और धारा 3, जो क्रमशः परिभाषित करती हैं।

संगठित अपराध का अपराध करना और निर्धारित करना

सजा।

(च) कुछ कार्य या चूक होनी चाहिए जो

यह अधिनियम लागू होने के बाद संगठित अपराध के बराबर है, जिसके संबंध में अभियुक्त पर पहली बार विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाने की मांग की जाती है (अर्थात ऐसा नहीं किया गया है या नहीं किया गया है)।

कहीं और कोशिश की जा रही है)।

टी. ई. ऑफ गुजरात बनाम. संदीप ओमप्रकाश गुप्ता [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

लेकिन, हमें एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करने की आवश्यकता है। शिव

उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने (ऊपर) ने

स्थिति, जहाँ कोई व्यक्ति मकोका के आह्वान के बाद कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों में, व्यक्ति को उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले उसके द्वारा किए गए अपराधों के कारण उक्त अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, भले ही वह उसी के लिए दोषी पाया जाए। हालाँकि, यदि व्यक्ति गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखता है और है

गिरफ्तार किए जाने पर, उक्त अधिनियम की घोषणा के बाद, ऐसे व्यक्ति पर उक्त अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त के बाद किसी भी गैरकानूनी कार्य में लिप्त होना बंद कर देता है अधिनियम, तब, वह उक्त अधिनियम के तहत अभियोजन से मुक्त हो जाता है। लेकिन, अगर वह गैरकानूनी गतिविधि जारी रखता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह दो कृत्य नहीं करता है

जिसके आने के बाद न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है बलपूर्वक। यही सिद्धांत 2015 के अधिनियम के मामले में भी लागू होगा, जिससे हम संबंधित हैं।

मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्वस्त हैं कि

शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने में इस अदालत द्वारा आईडी

इसे फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है। शिव उर्फ शिवाजी में उक्ति

अवने (ऊपर) कानून की सही व्याख्या है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, अपील का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील का निपटारा किया

गया।

शेवाली मोंगा, एलसीआरए)